"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2003—फाल्गुन 16, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री अजयबारा प्रसाद आदिथाला, भा. प्र. से. (1986), संचालक, कृषि एवं पशुपालन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अतिरिक्त रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 'गन्ना आयुक्त' का कार्य सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/1/2.—श्री एम. के. राउत, भा. प्र. से. (1984), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं विकास आयुक्त, सचिव, राजस्व, राहत आयुक्त तथा आयुक्त भू-अभिलेख को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव,

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग का कार्य सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2003

क्रमांक एफ 2-21/2003/1-8.—श्री दुर्गेश मिश्रा, आय. ए. एस., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, पुनर्वास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भी पदस्थ किया जाता है.

2. श्री पी. एस. तिवारी, अवर सचिव, छ. ग. शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अवर सचिव, छ. ग. शासन, पुनर्वास, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भी पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2003

क्रमांक एफ 2-28/02/1-8.—श्री जी. आर. मालवीय, स्टॉफ आफिसर, वन विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें ऊर्जा विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक एफ 5-1/2001/1/6.—राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 240/264/2001/1/6, दिनांक 15-10-2001 के अनुक्रम में ग्राम अचानकमार थाना कोटा जिला बिलासपुर में घटित घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में दिनांक 18-1-03 से दो माह की अवधि की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी, 2003

क्रमांक ई-7-1/2003/1/साप्रवि/2/लीव/आईएएस.—श्रीमती निधि छिब्बर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया को दिनांक 25-1-2003 से 7-2-2003 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8, 9 फरवरी 03 शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर को आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कोरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती छिब्बर यदि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहती.

5. श्रीमती छिब्बर के अवकाश काल में श्री ए. एल. टोप्पो, अपर कलेक्टर कोरिया अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया का कार्य भी संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2003

क्रमांक ई-7-3/2003/1/2/साप्रवि/लीव/आईएएस.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से., सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दिनांक 27-1-2003 से 6-2-2003 (11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 26-1-03 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. डॉ. आलोक शुक्ला को अवकाश काल में वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार प्राप्त होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. शुक्ला को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर में पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 698/261/2003/18.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 (2) के अधीन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15-6-2001 द्वारा नगर पंचायत, धर्मजयगढ़ के लिये सरल क्रमांक 34 (2) में अंकित श्री कृष्ण मोहन राठिया, नामांकित पार्षद (एल्डरमेन) को नामांकित किया गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक डी-1238/368/21-ब/छग/03.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार तिवारी अधिवक्ता बेमेतरा को फास्ट ट्रेक कोर्ट बेमेतरा में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये अथवा फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक जो भी अवधि पहले आये, राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2003

क्रमांक 675/ एफ 73-129/2002/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो "श्रीमद् वल्लभाचार्य भारत-विद्या विश्वविद्यालय, रायपुर" कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा "श्रीमद् वल्लभाचार्य भारत-विद्या विश्वविद्यालय, रायपुर" को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अंतर्गत यदि आवश्यक हैं, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 6th February 2003

No. 675/F 73-129/2002/HE/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/Technical Education in Chhattisgarh, hereby establishes a university known as "SHRIMAD VALLABHACHARYA BHARAT-VIDYA VISHWA-VIDYALAYA, RAIPUR" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "SHRIMAD VALLABHACHARYA BHARAT-VIDYA VISHWAVIDYALAYA, RAIPUR" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा , दिनांक 7 फरवरी 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ), के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपट्नम	पे. बासागुड़ा	8.46 एकड़	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, केंपकारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

दंतेवाड़ा , दिनांक 7 फरवरी 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को. इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ), के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	भोपालपट्नम	गिलगिच्चा	6.42 एकड़	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परियोजना, केंप-कारली.	राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 30 जनवरी 2003

क्रमांक 671/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुन्ठपुर	बस्ती	0.582	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप-संभाग, अंबिकापुर.	नरकेली परचा बस्ती मार्ग पर झुमका नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) जिलाध्यक्ष जिला कोरिया (बैकुन्ठपुर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पुसौर प.ह.नं. 35	0.081	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़.	पुसौर गोतमा मार्ग हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर , दिनांक 13 फरवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/40/अ-82/वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	जोरा	0.832	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	सरमंदी जोंक शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर , दिनांक 13 फरवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/41/अ-82/वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	जुनवानी	0.406	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	सरमंदी जोंक शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर , दिनांक 13 फरवरी 2003

क्र. क/भू-अर्जन/42/अ-82/वर्ष 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	खपरीडीह	3.175	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	खपरीडीह जोंक शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द , दिनांक 24 फरवरी 2003

शुद्धिपत्र अधिसूचना

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/8-अ/82 सन् 2000-2001/605.—एतद्द्वारा सर्व संबंधितों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चूंकि देवगांव जलाशय की मुख्य व लघु नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम लहरौद पटवारी हल्का नंबर 30 राजस्व निरीक्षक मंडल पिथौरा तहसील एवं जिला महासमुंद में अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण संबंधी प्रारूप अधिसूचना अंतर्गत धारा 4 (1) एवं 6 (1) भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 के पृष्ठ क्रमांक 294 में दिनांक 18 मई 2001 को प्रकाशित हो चुका है जिसमें लिपिकीय एवं टंकण की त्रुटि के कारण अर्जित की जाने वाली रकबा के प्रकाशन में हुई त्रुटि को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है, अतएव यह शुद्धिपत्र उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु आवश्यक है. इस शुद्धिपत्र में उल्लिखित खसरा नंबर एवं रकबा के अतिरिक्त पूर्व में प्रकाशित खसरा नंबर एवं रकबा यथावत् अपरिवर्तनीय रहेंगे.

क्र.	राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 294 दिनांक 18 मई सन् 2001 में प्रकाशित खसरा नंबर एवम् रकबा जिसमें संशोधन किया जाना है.		वास्तविक रूप से अर्जित शुद्ध रकबा (खसरा नंबर सहित) जो कि संशोधन के फलस्वरूप प्रतिस्थापित किया जाना है.	
	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	154	0.05	154	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	626/4	0.03	626/4	0.04
3.	626/6	0.03	626/6	0.06
4.	166	0.93	166	0.03
5.	924	0.67	924	0.01
योग	5	1.71	5	0.18

(2) पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना एवं अनुसूची में जहां कहीं पर भी अर्जित रकबा 5.75 हेक्टेयर उल्लिखित हुआ हो, उसके स्थान पर संशोधित रकबा 4.18 हेक्टेयर प्रतिस्थापित किया जावे एवं तदनुसार लिखा एवं पढ़ा जावे.

(3) शुद्धिपत्र से संबंधित अन्य सुसंगत जानकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 फरवरी 2003

शुद्धिपत्र अधिसूचना

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05-अ/82 सन् 2000-2001/606.—एतद्द्वारा सर्व संबंधितों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चूंकि देवगांव जलाशय की मुख्य व लघु नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम सरकड़ा पटवारी हल्का नंबर 21 राजस्व निरीक्षक मंडल पिथौरा तहसील एवं जिला महासमुंद में अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण संबंधी प्रारूप अधिसूचना अंतर्गत धारा 4 (1) एवं 6 (1) भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 के पृष्ठ क्रमांक 277 एवं 278 में दिनांक 11 मई 2001 को प्रकाशित हो चुका है जिसमें लिपिकीय एवं टंकण की त्रुटि के कारण अर्जित की जाने वाली रकबा के प्रकाशन में हुई त्रुटि को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है, अतएव यह शुद्धिपत्र उक्त त्रुटियों के निराकरण के लिए आवश्यक है. इस शुद्धिपत्र में उल्लिखित खसरा नंबर एवं रकबा के अतिरिक्त पूर्व में प्रकाशित खसरा नंबर एवं रकबा यथावत अपरिवर्तनीय रहेंगे.

क्र.	राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 295 एवं 305दिनांक 18 मई सन् 2001 में प्रकाशित खसरा नंबर एवम् रकबा जिसमें संशोधन किया जाना है.		वास्तविक रूप से अर्जित शुद्ध रकबा (खसरा नंबर सहित) जो कि संशोधन के फलस्वरूप प्रतिस्थापित किया जाना है.	
	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	814	0.29	814	0.21
2.	1109	0.01	1101	0.01
3.	1060	0.01	1170	0.01
4.	1013	0.09	1013	0.01
5.	1089	0.05	1089	0.04
6.	1179	0.01	1171	0.01
7.	1182	0.05	1181	0.05
8.	540	0.01	540	0.03
योग	8	0.52	योग 8	0.37

(2) पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना में जहां कहीं पर भी अर्जित रकबा 5.71 हेक्टेयर उल्लिखित हुआ हो, उसके स्थान पर संशोधित रकबा 5.56 हेक्टेयर प्रतिस्थापित किया जावे एवं तदनुसार लिखा एवं पढ़ा जावे.

(3) शुद्धिपत्र से संबंधित अन्य सुसंगत जानकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.

महासमुन्द , दिनांक 24 फरवरी 2003

शुद्धिपत्र अधिसूचना

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/6-अ/82 सन् 2000-2001/607.—एतद्द्वारा सर्व संबंधितों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चूंकि देवगांव जलाशय की मुख्य व नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम अठारागुडी पटवारी हल्का नंबर 30 राजस्व निरीक्षक मंडल पिथौरा तहसील एवं जिला महासमुंद में अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण संबंधी प्रारूप अधिसूचना अंतर्गत धारा 4 (1) एवं 6 (1) भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 के पृष्ठ क्रमांक 302 में दिनांक 18 मई 2001 को प्रकाशित हो चुका है जिसमें लिपिकीय एवं टंकण की त्रुटि के कारण अर्जित की जाने वाली रकबा के प्रकाशन में हुई त्रुटि को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है, अतएव यह शुद्धिपत्र उक्त त्रुटियों के निराकरण के लिए आवश्यक है. इस शुद्धिपत्र में उल्लेखित खसरा नंबर एवं रकबा के अतिरिक्त पूर्व में प्रकाशित खसरा नंबर एवं रकबा यथावत् अपरिवर्तनीय रहेंगे.

क्र.	राजपत्र में पृष्ठ क्रमांक 302 दिनांक 18 मई सन् 2001 में प्रकाशित खसरा नंबर एवम् रकबा जिसमें संशोधन किया जाना है.		वास्तविक रूप से अर्जित शुद्ध रकबा (खसरा नंबर सहित) जो कि संशोधन के फलस्वरूप प्रतिस्थापित किया जाना है.	
	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	574	0.26	574	0.27
2.	473	0.19	573	0.18
3.	2	0.69	2	0.61
योग	3	1.14	योग 3	1.06

(2) पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना में जहां कहीं पर भी अर्जित रकबा 7.29 हेक्टेयर उल्लेखित हुआ हो, उसके स्थान पर संशोधित रकबा 7 हेक्टेयर प्रतिस्थापित किया जावे एवं तदनुसार लिखा एवं पढ़ा जावे.

(3) शुद्धिपत्र से संबंधित अन्य सुसंगत जानकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.

महासमुन्द , दिनांक 24 फरवरी 2003

शुद्धिपत्र अधिसूचना

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/11-अ/82 सन् 2000-2001/606/608.—एतद्द्वारा सर्व संबंधितों एवं सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चूंकि देवगांव जलाशय की मुख्य व लघु नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम अमलीडीह पटवारी हल्का नंबर 21 राजस्व निरीक्षक मंडल पिथौरा तहसील एवं जिला महासमुंद में अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण संबंधी प्रारूप अधिसूचना अंतर्गत धारा 4 (1) एवं 6 (1) भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 के पृष्ठ क्रमांक 295 एवं 305 में दिनांक 18 मई 2001 को प्रकाशित हो चुका है जिसमें लिपिकीय एवं टंकण की त्रुटि के कारण अर्जित की जाने वाली रकबा के प्रकाशन में हुई त्रुटि को संशोधित किया जाना आवश्यक हो गया है, अतएव यह शुद्धिपत्र उक्त त्रुटियों के निराकरण के लिए आवश्यक है. इस शुद्धिपत्र में उल्लेखित खसरा नंबर एवं रकबा के अतिरिक्त पूर्व में प्रकाशित खसरा नंबर एवं रकबा यथावत् अपरिवर्तनीय रहेंगे.

क्र.	राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 305 एवं 306 दिनांक 18 मई सन् 2001 में प्रकाशित खसरा नंबर एवम् रकबा जिसमें संशोधन किया जाना है.		वास्तविक रूप से अर्जित शुद्ध रकबा (खसरा नंबर सहित) जो कि संशोधन के फलस्वरूप प्रतिस्थापित किया जाना है.	
	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	926	0.02	926	0.22
2.	937	0.07	937	0.06
	योग 2	0.09	योग 2	0.28

(2) पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना में जहां कहीं पर भी अर्जित रकबा 4.92 हेक्टेयर उल्लेखित हुआ हो, उसके स्थान पर संशोधित रकबा 11 हेक्टेयर प्रतिस्थापित किया जावे एवं तदनुसार लिखा एवं पढ़ा जावे.

(3) शुद्धिपत्र से संबंधित अन्य सुसंगत जानकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 4 फरवरी 2003

क्रमांक 18/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम्
- (ग) नगर/ग्राम-मद्देड़, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
369/7	0.028
369/12	
371/2	
योग	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसे लिये भूमि की आवश्यकता है- संगमपल्ली नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

प्र. क्रमांक 18/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुरेली, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.574 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
33	0.425
38	0.008
39/2	0.263
70/1	0.243
70/9	0.032
91/6	0.150
93	0.008
130/1	0.04
131	0.02
133/2	0.008
136/1	0.004
160/2	0.081
173/1	0.049
179	0.182
योग 14	1.574

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोंघा व्यपवर्तन योजना के ठाकुरकापा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

प्र. क्रमांक 19/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केकरार, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
45/3	0.655
45/4	0.32
51/1	0.583
195/1	0.166
227	0.202
12	0.121
9/1	0.113
9/2	0.113
योग 8	2.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-केकरार जलाशय के डुबान एवं बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

प्र. क्रमांक 20/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गिरधौना, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.355 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	532	0.113
	531/2	0.121
	526/1	0.121
योग	3	0.355

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-केकरार जलाशय योजना की मुख्य नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

प्र. क्रमांक 21/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सागर, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.094 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	119	0.094
योग	1	0.094

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-केकरार जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

प्र. क्रमांक 22/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सागर, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.635 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55	0.182

	(1)	(2)
	61	0.125
	179	0.121
	75/1	0.028
	83	0.109
	202/2	0.376
	219	0.178
	221	0.214
	228	0.158
	229	0.142
योग	10	1.635

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-केकरार जलाशय के निर्माण एवं डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

प्र. क्रमांक 23/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोड़ापुरी, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.016 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	360	0.016
योग	1	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-केकरार जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षणं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अंधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

प्र. क्रमांक 24/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सागर, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.283 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	213	0.283
योग	1	0.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-केकरार जलाशय योजना के डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जनवरी 2003

प्र. क्रमांक 25/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-टिहुलाडीह, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.344 हेक्टेयर.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	243/3	0.344
योग	1	0.344

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नर्मदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 21 फरवरी 2003

क्रमांक 56/रीडर/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-नीगापुर, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.70 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
238	0.43
352	0.92
346/2	0.04
346/1	0.38
354	0.12
80/1	0.30
254/1	0.15
229/1	0.08
253/1	0.17
236	0.50
237/2	0.24
324/4	0.07
351	0.27
239	0.45
353/2	0.40
346/4	0.26
348/2	0.16
253/2	0.24
228/2	0.07
230	0.07
240	0.30
204	0.01
241	0.28
242	0.23
348/1	0.40
353/3	0.30
88/2	0.02
346/3	0.22
88/1	0.02
79	0.15
87/2	0.05

(1)	(2)
348/4	0.36
69/2	0.04
योग 33	7.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हेम्प दायीं तट नहर से प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में देखा जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 21 फरवरी 2003

क्रमांक 58/रीडर/03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरकोना, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.31 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
194/2	0.28
194/1	1.10
234/1	0.22
204	0.36
206	0.07
207/3	0.24
211	0.16
212/1 क	0.04
230/1	0.26
231	0.32
233	0.03
207/4	0.08
583/1	0.03
194/3	0.22
193/1	0.09
235	0.03
205	0.08
203	0.42
207/1	0.90
212/2	0.05
212/1 ख	0.18
230/2	0.04
232	0.87
601	0.42
588/1	0.24
583/2	0.10
584	0.72
588/2	0.43
194/3	0.28
588/3	0.58
588/4	0.79
193/4	0.68
योग 32	10.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-हेम्प दायीं तट नहर से प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.